मेडिकल कॉलेज के सामने शराब की दुकान खोलने की मंजूरी का विरोध

श्रीगंगानगर, (कासं)। आबकारी विभाग की ओर से नेशनल हाईवे-62 सूरतगढ़ रोड पर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने अंग्रेजी शराब की दुकान को मंजूरी दिए जाने के फैसले का भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

संगठन के जिला उपाध्यक्ष हिमांशु सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में छात्रों ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पर पहुंचे जहां उन्होंने आक्रोश जताया। इसके बाद उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और शराब दुकान की मंजूरी न दिए जाने की मांग की गई है।

ज्ञापन में एनएसयूआई ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि आबकारी विभाग वर्ष 2025-26 के लिए सूरतगढ़ रोड पर शिव चौक से हनुमान मूर्ति के बीच स्थित शराब दुकान नंबर दो और तीन (वार्ड नंबर 28 एवं 41) को आबकारी अधिनियम-1950 की धारा 75, सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों तथा पूर्व फैसलों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए सरकारी जिला अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट के ठीक सामने स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है। ज्ञापन में एनएसयूआई ने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में लगभग 500 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। तथा इसी परिसर में लड़कियों का हॉस्टल भी स्थित है, जो प्रस्तावित शराब दुकान के बिल्कुल बगल में है।

श्रीगंगानगर में मेडिकलकॉलेज के सामने शराब दुकान खोलने की मंजूरी का एनएसयूआई ने विरोध कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

आबकारी विभाग नियमों को तोड़-मरोड़कर शराब दुकानों को मेडिकल कॉलेज के सामने शिफ्ट करने की अनुमति दे रहा है, जो न केवल आबकारी अधिनियम की धारा 75 का सीधा उल्लंघन है, बल्कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं माहौल के लिए भी अत्यंत खतरनाक है।

ज्ञापन में मांग की गई है कि वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लिए किसी भी शराब दुकान की लोकेशन पास करते समय सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए। आबकारी विभाग को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, आबकारी नियमों तथा धारा 75 की सख्ती से पालना करनी चाहिए। साथ ही दुकानों की लोकेशन पास करने से पहले पूरी तरह से स्थलीय जांच कराई जाए ताकि पूर्व में हुई गलतियों को सुधारा जा सके। जिला उपाध्यक्ष हिमांशु सिंह सिसोदिया ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों और खासकर लड़कियों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अगर विभाग ने अपनी मनमानी नहीं रोकी तो हम और भी बड़ा आंदोलन करने को तैयार हैं।

■ **सरकारी मेडिकल कॉलेज में लगभग 500 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं तथा इसी परिसर में लड़कियों का हॉस्टल भी स्थित है**

दीक्षांत समारोह आज

बीकानेर, (कासं)। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का 22 वां दीक्षांत समारोह 13 मार्च को आयोजित किया जायेगा। समारोह राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे की अध्यक्षता में आयोजित होगा।

विश्वविद्यालय के कुलगुरू डॉ. राजेन्द्र बाबू दुबे ने बताया कि विश्वविद्यालय के विद्या मंडप में होने वाले इस समारोह में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल तथा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा विशिष्ट अतिथि होंगे।

कार्यक्रम के दीक्षांत अतिथि पादप किस्मों के संरक्षण एवं किसान अधिकार प्राधिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्ष प्रो. त्रिलोचन मोहपात्रा होंगे। आयोजन की समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई। इस दौरान रजिस्ट्रार डॉ. देवाराम सैनी, अनुसंधान निदेशक डॉ. एन.के. शर्मा, प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. दीपाली धवन सहित अन्य डीन डायरेक्टर्स उपस्थित रहे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 17 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 2 विद्यार्थियों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जायेगा। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में स्नातक के 2, स्नातकोत्तर के 14 और विद्या वाचस्पति का एक विद्यार्थी शामिल है। स्नातक और स्नातकोत्तर के 1-1 विद्यार्थी को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जायेगा।

सार-समाचार

एक रूपया-नारियल में की शादी

बीकानेर के बबन पुत्र गंगाधर जादुसंगत ने केवल एक रूपया और नारियल लेकर शादी की सभी रस्में निभाई।

बीकानेर, (कासं)। समाज में फैली दहेज प्रथा के खिलाफ एक प्रेरणादायक पहल करते हुए बीकानेर में सादगीपूर्ण विवाह का आयोजन किया गया। सगाई से लेकर विवाह तक की सभी रस्में मात्र एक रूपया और नारियल से निभाई गई। जिससे समाज को दहेज जैसी कुरीति के खिलाफ सकारात्मक संदेश मिला। बीकानेर के बबन पुत्र गंगाधर जादुसंगत का विवाह करमीसर निवासी पिंकी पुत्री पुखराज चांवरिया के साथ संपन्न हुआ। सादगी से निभाई गई परंपराए इन दोनों ही परिवारों ने समाज के लिए एक प्रेरणादायक संदेश दिया। कांग्रेस नेता राहुल जादुसंगत ने बताया कि सगाई समारोह से लेकर विवाह तक की सभी रस्में सादगी से निभाई गई। लड़की पक्ष से केवल एक रूपया और नारियल लेकर ही विवाह संपन्न किया गया तथा किसी भी प्रकार का दहेज स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाना और सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देना है। दोनों परिवारों ने बिना दहेज के विवाह कर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सकारात्मक संदेश दिया। इस अवसर पर श्याम सांगलिया धूणी मावा के मंहत प्रकाशदास महाराज, शिवलालतेजा आदि उपस्थित थे।

तस्कर का अवैध घर तोड़ा

श्रीगंगानगर, (कासं)। जिले के सादुलशहर में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने नशा तस्कर विक्की छजगरिया के अवैध कब्जे वाले मकान पर बुलडोजर चला दिया। सरकारी भूमि पर बना यह पक्का निर्माण पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। बताया जा रहा है कि तस्करी के इस काम में आरोपी की पत्नी भी शामिल थी। सादुलशहर थाना प्रभारी मलकियत सिंह मान ने बताया कि आरोपी विक्की छजगरिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले पहले से दर्ज हैं। नशे के कारोबार से कमाई करके उसने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान खड़ा कर रखा था। यह कार्रवाई सुबह 10 बजे मस्जिद के पास आरोपी के मकान में की गई। आरोपी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर 30 गुणा 70 फीट का मकान बना रखा है। दो घंटे चली कार्रवाई के बाद आरोपी का मकान पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। विक्की छाजगारिया पिछले 5 सालों से नशा तस्करी का काम करता है। इसके खिलाफ जिलेभर में 5 से अधिक मामले दर्ज हैं। वहीं इसकी पत्नी भी इसके साथ ही नशा तस्करी के कारोबार में शामिल है। फिलहाल आरोपी जेल से बाहर जमानत पर है। नगरपालिका के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी की। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अवैध कब्जों और नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

महाराज का निर्वाण दिवस मनाया

बीकानेर, (कासं)। गोगागेट लालगुफा रोड़ स्थित श्री केदारनाथ गुफा आश्रम में योगी केदारनाथ महाराज का निर्वाण दिवस श्रद्धाभक्ति और आध्यात्मिक गरिमा के साथ मनाया गया। केदार गुफा धाम के महंत योगी ओमनाथ महाराज द्वारा आयोजित इस पावन आयोजन में नवलेश्वर मठ सिद्धपीठ के अधिष्ठाता योगी शिवसत्यनाथ महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की शुरूआत निर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित भव्य सत्संग से हुई, जिसमें पंडित पुखराज शर्मा एवं उनकी टीम के द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। आज मुख्य आयोजन के दौरान पूज्य योगी केदारनाथ महाराज की समाधि पर विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ समाधि का पूजन-अर्चन विधि-विधान से संपन्न किया गया। इस आध्यात्मिक समागम में बीकानेर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पूज्य संतों और महात्माओं का आगमन रहा।

भीड़ ने बिजली कंपनी के इंजीनियर और कर्मचारियों को पीटा

■ **दो-तीन गाड़ियों में आये बीकेईएसएल के अधिकारियों ने कनेक्शन काटना चाहा तो स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया, घटना नया शहर थाना इलाके के नत्थानियों के सराय की है**

■ **इस बार पहले से ज्यादा भीड़ एकत्रित हुई और बीकेईएसएल कर्मचारियों के साथ पहले धक्का मुक्की हुई और बाद में मारपीट की गई**

बीकानेर, (कासं)। बिजली चोरी की सूचना पर पहुंचे बिजली कंपनी (बीकेईएसएल) के इंजीनियर और कर्मचारियों के साथ भीड़ ने मारपीट कर दी।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली कंपनी के अधिकारियों ने घर में घुसकर अभद्र व्यवहार किया। पुलिस के सामने ही लोगों ने कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों को घेर लिया और मुक्के बरसाए। वहीं आरोप लगाया कि बिजली कंपनी के लोगों ने भी स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की थी। इसके बाद बिजली कंपनी से भी करीब 150 कर्मचारी मौके पर आ गए। इसके बाद यहां माहौल गरमा गया। मामला बीकानेर के नया शहर थाना इलाके के नत्थानियों के सराय का दोपहर 1 बजे का है।

विवाद शुरू होने के दौरान मौके पर कंपनी की ओर से तीन गाड़ियों में टीम मौके पर पहुंची थी। स्थानीय लोगों से विवाद होने के बाद कंपनी के अन्य अधिकारी, कर्मचारी और श्रमिक भी मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते डेढ़ सौ से ज्यादा कंपनी के कर्मचारी मौके पर आ गए। वहीं नयाशहर पुलिस भी फोर्स के साथ पहुंची। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी अभी भी मौके पर हैं। वहीं नत्थानियों की सराय के 300 से ज्यादा लोग मौके पर जमे हुए हैं।

बीकेईएसएल कंपनी प्रवक्ता अशोक शर्मा ने बताया कि हमारी ओर से फिलहाल रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है। घटना के समय अभियंता और कर्मचारियों के साथ कंपनी के अधिकारी भी उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार लम्बे समय से बीकेईएसल कंपनी को इस क्षेत्र में बिजली चोरी की शिकायत मिल रही थी। कुछ समय पहले जब कंपनी ने यहां पर कनेक्शन काटने की कोशिश की तो स्थानीय महिलाओं ने विरोध किया। बाद में इनके समर्थन में अन्य लोग भी पहुंच गए। काफी देर तक दोनों पक्षों में विवाद हुआ।

जानकारी के अनुसार इसके बाद गुरूवार दोपहर फिर से बिजली कंपनी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। दो-तीन गाड़ियों में आये बीकेईएसएल के अधिकारियों ने कनेक्शन काटना चाहा तो स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा भीड़ एकत्रित हुई और बीकेईएसएल कर्मचारियों के साथ पहले धक्का मुक्की की गई और बाद में मारपीट की गई।

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार घायल

नोखा, (कासं)। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना 8 मार्च को सुबह करीब 8:30 से 9:00 बजे के बीच एनएच-62 पर रीको के पास हुई।

घायल युवक की पहचान हियादेसर निवासी अर्जुनराम जाट के रूप में हुई है। वह अपनी बाइक से हियादेसर से नोखा जा रहा था। टक्कर के कारण अर्जुनराम के दोनों पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई। घटना के बाद उन्हें पहले नोखा के बागड़ी अस्पताल ले जाया गया। वहां से बीकानेर रेफर किया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल भेजा गया।

हियादेसर निवासी रामचंद्र जाट ने नोखा थाने में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रामचंद्र जाट ने बताया कि वे घटना के समय अर्जुनराम के पीछे एक गाड़ी में आ रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रक ड्राइवर तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था। अर्जुनराम के इलाज में व्यस्तता के कारण शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई।

झगड़ते आवारा सांड ने ली बुजुर्ग की जान

■ **मृतक जोशी के परिवार में वे ही मात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके परिवार में एक विकलांग बेटा भी है, अब परिवार के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है**

बीकानेर, (कासं)। भीनासर इलाके में हुई एक दर्दनाक घटना ने प्रशासन को एक बार फिर कठघरे में खड़ा कर दिया। 60 वर्षीय आदुराम जोशी अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी वहां आपस में लड़ रहे एक आवारा सांड ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत 10 से 15 मिनट पहले ही हो चुकी थी। परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि लापरवाह सिस्टम की देन है। उनका आरोप है कि शहर में लम्बे समय से आवारा पशुओं का आतंक बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने कभी गंभीरता से इस समस्या को नहीं लिया।

मृतक के चचेरे भाई बाबूलाल जोशी ने बताया कि आदुराम जोशी परिवार के एक मात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके परिवार में एक विकलांग बेटा भी है। अब परिवार के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते प्रशासन आवारा पशुओं को नियंत्रित करता तो यह हादसा नहीं होता। स्थानीय निवासी श्याम पंचारिया ने भी इस घटना को नगर निगम की लापरवाही का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि गंगाशहर बाजार, चौक-चौराहों और मुख्य सड़कों पर अक्सर आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने बताया कि शहर के प्रमुख बाजारों में भी आवारा पशु खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं। केईएम रोड के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में भी कई बार सांड और गायों के झुंड सड़क पर घूमते देखे जा सकते हैं।

सर्वर बंद, घरेलु गैस बुक नहीं होने से परेशान

■ **होटल संचालकों का आरोप है कि डिस्ट्रीब्यूटर मनमर्जी के दाम वसूल कर रहे हैं**

श्रीगंगानगर, (कासं)। प्रदेश में गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर परेशानी बढ़ती जा रही है। इसका असर श्रीगंगानगर में भी दिख रहा है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने से होटल, रेस्टोरेंट, पीजी और ढाबा संचालक परेशान है।

इसके साथ ही घरेलू उपभोक्ता भी सिलेंडर बुकिंग के लिए एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं। होटल संचालकों का आरोप है कि डिस्ट्रीब्यूटर मनमर्जी के दाम वसूल कर रहे हैं। सर्वर बंद होने से घरेलू गैस बुक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में गुरूवार को एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की भीड़ लग गई। हालांकि ग्रामीण इलाकों में इसका असर काफी कम है। लोग सिलेंडर की बजाय लकड़ियां जला रहे हैं। वहीं गैस एजेंसियों ने गैस सिलेंडर की होम डिलवरी पर रोक लगा दी है। अब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से सिलेंडर मिल रहे हैं। बुकिंग भी 25 दिनों के बाद हो रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के पास मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहे।

गुरूवार को लालगढ जाटान में इंडेन का सर्वर भी ठप रहा। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफिस में भीड़ देखने को मिली। 944 रूपए बुकिंग पर मिलने वाला गैस सिलेंडर ब्लैक में 1300 रुपए और कॉमर्शियल 2500 से 2800 तक बिक रहा है।

पूर्व सरपंच पांच साल चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित

बीकानेर, (कासं)। वित्तीय अनियमित पाए जाने पर विभिन्न ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों को आगामी 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत फतेहगढ़ हनुमानगढ़ के पूर्व सरपंच नौरंग चंद चांवरिया, ग्राम पंचायत पीर कामडिया पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ़ की पूर्व सरपंच डिंपल, ग्राम पंचायत डबलीकलां पंचायत समिति टिब्बी जिला हनुमानगढ़ की पूर्व सरपंच सुमन, ग्राम पंचायत 61 एफ पंचायत समिति श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की पूर्व सरपंच संतोष देवी को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(3) के तहत निर्णय की तारीख से आगामी 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है।

अब 21 के बजाय 31 मार्च से होगी नहरबंदी, 10 दिन और मिले

■ **इंदिरा गांधी नहर से हर रोज मिलता रहेगा सात से आठ हजार क्यूसेक पानी**

बीकानेर, (कासं)। उत्तर-पश्चिम राजस्थान के लिए राहत भरी खबर है। नहरबंदी अब पहले तय कार्यक्रम से 10 दिन आगे बढ़ेगी। पहले यह 21 मार्च से प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे 31 मार्च से लागू किया जायेगा।

इस संबंध में राजस्थान ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी है। इसी संबंध में आज इंदिरा गांधी नहर मुख्यालय पर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और चूरू सहित उन सभी 14 जिलों के जलदाय विभाग अधिकारियों की मीटिंग होगी जहां नहर से पीने का पानी दिया जाता है। नहरबंदी आगे बढ़ने से इस दौरान 7 से 8 हजार क्यूसेक पानी मिलने की संभावना है। जिससे क्षेत्र के डिग्गियों और जलाशयों में पर्याप्त पानी संग्रहित किया जा सकेगा। इससे गर्मी के मौसम में पेयजल संकट को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। सूत्रों के अनुसार 15 मार्च तक भाखड़ा सिस्टम में फ्लशिंग का कार्य पूरा हो जायेगा, जिसके बाद कुछ दिनों तक अतिरिक्त पानी उपलब्ध रहेगा। इसी को देखते हुए नहरबंदी की तारीख आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

इस दौरान मिलने वाले पानी से करीब 8000 क्यूसेक तक पानी नहरों में छोड़ा जा सकता है, जिससे राजस्थान के कई जिलों में जलाशयों को भरने का मौका मिलेगा। बीकानेर शहर की पेयजल व्यवस्था मुख्य रूप से बीछवाल और शोभासर जलाशयों पर निर्भर है। बीछवाल जलाशय की कुल क्षमता करीब 5.5 मीटर है, जिसमें वर्तमान में लगभग 3 मीटर पानी मौजूद है। शोभासर जलाशय की क्षमता करीब 6.2 मीटर है और इसमें अभी करीब 2.4 मीटर पानी भरा हुआ है। नहरबंदी आगे बढ़ने से इन जलाशयों में अतिरिक्त पानी संग्रहित किया जा सकेगा, जिससे आने वाले महीनों में शहर की पेयजल आपूर्ति को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो 31 मार्च से नहरबंदी लागू की जायेगी। मरम्मत कार्यों के लिए कुछ समय तक नहरों में पानी की आपूर्ति बंद रहेगी।

मेघवाल आज आयेंगे

बीकानेर, (कासं)। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल शुक्रवार प्रातः 9:50 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मेघवाल स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 22 वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। यहां विभिन्न कार्यक्रमों एवं बैठकों में भाग लेने के बाद रात्रि 10:20 बजे ट्रेन से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- नियमन/2025-26/5220 दिनांक :- 12.03.2026

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 04 में माप 35'0" गुणा 50'0" फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्रीमती गुरविन्द्र कौर पत्नी श्री अनमोलक सिंह निवासी 109 संत कृपाल नगर, गली नं. 09, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को काई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती गुरविन्द्र कौर पत्नी श्री अनमोलक सिंह निवासी 109 संत कृपाल नगर, गली नं. 09, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 04 में आवासीय भूखण्ड माप 35'0" गुणा 50'0" फीट का नियमन पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक: नियमन/2026/5212 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 11.03.2026

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि **श्री हरमोहन सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह निवासी गली नं0 12, नजदीक पुलिस चौकी, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर** के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखंडधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 1 एक छोटी मुरब्बा नं. 62 के किला नं. 14 में माप 10 इन्टू 18.9 फीट भूखण्ड संख्या 96, श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का आवासीय का पट्टा संख्या 1329 दिनांक 29.07.2013 को श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री बाबूराम गर्ग के नाम से जारी है।	**श्री हरमोहन सिंह** द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 23.02.2026 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखंड के संबंध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामांतरण चाहा गया है। इस संबंध में **श्री हरमोहन सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह निवासी गली नं0 12, नजदीक पुलिस चौकी, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर** द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखंड से संबंधित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिए कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या - SGNR/FY25-26/MUT/1416 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2026/5215 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 11.03.2026

श्री प्रमोद कुमार कासनिया पुत्र श्री रूपराम कासनिया निवासी मंहियावाली, श्रीगंगानगर द्वारा नीचे वर्णित भूमि में से अपने अधिकार को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 04.10.2024 के द्वारा क्रय कर आवासीय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पटटा अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	पट्टे का विवरण	भूमि का विवरण	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल
श्रीगंगानगर	भू-रूपांतरण विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा पट्टा संख्या 706 दिनांक 08.01.1990 को श्री नागरमल अग्रवाल पुत्र श्री भोजराज के नाम से जारी किया हुआ है।	चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 12 किला नं. 23 में माप 225 वर्गगज	भूखंड माप 30 इंटू 67.5 फीट भूखंड सं. 24

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 60 सी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पटटा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तद्नुसार निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज जारी की गयी। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2026/5214 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 11.03.2026

श्रीमती तारावती पत्नी श्री प्रमोद कुमार कासनिया निवासी मंहियावाली, श्रीगंगानगर द्वारा नीचे वर्णित भूमि में से अपने अधिकार को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 05.07.2006 के द्वारा क्रय कर आवासीय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पटटा अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	पट्टे का विवरण	भूमि का विवरण	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल
श्रीगंगानगर	भू-रूपांतरण विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा पट्टा संख्या 709 दिनांक 08.01.1990 को श्री दिवाकर गहलोत पुत्र श्री बलवीर गहलोत के नाम से जारी किया हुआ है।	चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 12 किला नं. 23 में माप 225 वर्गगज	भूखंड माप 30 इंटू 67.5 फीट भूखंड सं. 23

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 60 सी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पटटा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तद्नुसार निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज जारी की गयी। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2026/351 **विज्ञप्ति** दिनांक : 11.03.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 16 किला नं. 24 के भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 24'-0" + 60'-0" / 2 X 30'-0" Feet का आवासीय पट्टा संख्या 3683 दिनांक 30.06.2005 द्वारा श्रीमती वीना रानी पत्नी श्री परमजीत सिंह निवासी श्रीगंगानगर के नाम से न्यास द्वारा जारी है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का आवासीय से मिश्रित (वाणिज्यिक) भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया है। श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 अनुसार एवं जोनल प्लान अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र का भू-उपयोग मिश्रित हेतु आरक्षित है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, अधिसूचना दिनांक 28.10.2010, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधिया (Development Promotion & Control Regulations) के अनुसार पट्टे/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग से चाहा गया परिवर्तित उपयोग दोनों ही मास्टर प्लान / जोनल डवलपमेंट प्लान के भू-उपयोग में (DPCR) के अनुसार अनुज्ञेय (परमिटेड) उपयोग में आने एवं तकनीकी मापदण्ड पूर्ण होने के कारण विभागीय अधिसूचनाओं के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णितानुसार भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 24'-0" + 60'-0" / 2 X 30'-0" Feet अर्थात् 1260 वर्गफीट का आवासीय रूपान्तरित से मिश्रित (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

संगठन की विचारधारा, कार्यप्रणाली और आगामी रणनीति पर मार्गदर्शन दिया

बीकानेर, (कासं)। भाजपा संभाग कार्यालय में पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा बीकानेर देहात की जिला कार्ययोजना बैठक जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्रपाल टी. टी. मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर कुल 7 सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने संगठन की विचारधारा, कार्यप्रणाली और आगामी रणनीति पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया।

इस दौरान वैचारिक अधिष्ठान विषय पर वरिष्ठ कार्यकर्ता रामेश्वर पारीक ने संबोधित करते हुए पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और भाजपा की मूल विचारधारा पर प्रकाश डाला। इतिहास विकास विषय पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्रपाल टी. टी. ने संगठन के इतिहास, संघर्ष और विकास यात्रा को विस्तार से बताया। कार्य विस्तार विषय में हमारी दृष्टि विषय पर देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया ने कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार और जनसंपर्क को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। कार्य पद्धति एवं कार्यप्रणाली विषय पर जिला प्रभारी बलवीर बिश्नोई ने संगठनात्मक कार्यों की जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। केन्द्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों पर विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड अध्यक्ष रामगोपाल सुथार तथा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कुंभाराम सिद्ध ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। बूथ प्रबंधन विषय पर जिला महामंत्री दिलीप सिंह राजपुरोहित ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के गुर बताए। सोशल मीडिया संभाग संयोजक कोजूराम सारस्वत तथा आईटी विषय पर आईटी विभाग संभाग सह संयोजक चैन सिंह राजपुरोहित ने डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग और संगठनात्मक कार्यों में तकनीक के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जालम सिंह भाटी ने सभी अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।

भाजपा संभाग कार्यालय में पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिला कार्ययोजना बैठक को मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्रपाल टी. टी. ने संबोधित किया।

महिला और प्रेमी को उम्र कैद की सजा

श्रीगंगानगर, (कासं)। पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह घटना रावलामंडी थाना क्षेत्र के सखी गांव में हुई थी।

अपर सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सतविंदर कौर और उसके प्रेमी राजविंदर सिंह उर्फ बब्बू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर पांच-पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक महीराम सुथार ने बताया कि मृतक गुरमीत सिंह सखी गांव में रहता था और निजी नौकरी करता था। उसकी पत्नी सतविंदर कौर के गांव के ही राजविंदर सिंह से अवैध संबंध थे, जिससे घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। 20 अक्टूबर 2020 को पति-पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ। सतविंदर कौर ने अपने प्रेमी राजविंदर सिंह के साथ मिलकर गुरमीत सिंह का गला दबाकर हत्या कर दी थी।